February, 1997 an "Advisory Board on Bank Frauds" to advise it on the cases referred by the Central Bureau of Investigation (CBI) either directly or through Ministry of Finance for investigation/registration of cases against bank officers of the rank of General Manager and above. The constitution of the Board is as under:

Shri S.S. Tarapore Ex-Deputy Governor, Reserve Bank of India	Chairman
Justice Shri B.V. Chavan, Retd. Judge of Bombay High Court & Member, Reserve Bank of India Services Board.	Member
Shri B.N. Bhagwat, Retd. Secretary, Government of India	Member
Shri Satish Sawhney, Retd. Director General of Police, Maharashtra.	Member
Shri Y.H. Malegam, Chartered Accountant & Senior Partner in M/s. S.S. Billimoria & Co.	Member

अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से ऋण/अनुदान

2280. **डा० महेश चन्द्र शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय निकायों और देशों से कितने ऋण और अनुदान प्राप्त हुए हैं ;

(ख) ये ऋण/अनुदान किन-किन मदों में कितने-कितने प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ऋण को लौटाने की शर्तें क्या-क्या हैं और इस धनराशि को उपयोगी रूप में खर्च करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार **(नीचे देखिए)** ।

(ख) भारत सरकार के लेखा में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त किए ऋणों/अनुदानों को निम्नलिखित लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है :—

ऋण : एम.एच. 6002—विदेशी ऋण।

अनुदान : एम.एच. 1605—विदेशी अनुदान ।

वर्ष 1997-98 (30-6-97 तक) के दौरान प्राप्त किए गए ऋणों तथा अनुदानों की राशि क्रमशः 1116 43 करोड़ रुपए और 175.51 करोड़ रु. है ।

(ग) दाता देश को ऋण की वापसी अदायगी ऋण करार में दी गयी ऋण परिशोधन अनुसूची के अनुसार की जाती है । सामान्यतया, ऋण/अनुदान की राशि कतिपय परियोजना सम्बन्धित गतिविधियों के लिए दी जाती है और प्राप्तियों को इन्हीं क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाता है । सहायता के उपयोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि के प्रावधान को सुनिश्चित करना, ए.सी.ए. का 100 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि सहित आबंटन करना, राज्यों को ए.सी.ए. का अग्रिम भुगतान बोली दस्तावेजों का मानकीकरण एवं वसूली प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाना केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को दी जाने वाली सहायता में से मध्यस्थों को हटाना, निवेश सूची का यौक्तिकीकरण और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबन्धन एकक की स्थापना करना है ।

विवरण

वर्ष 1997–98 के दौरान प्राप्त किए गए ऋणों/अनुदानों का संस्था-वार विवरण

(दाता देश की मुद्रा मिलियन में)

क्र. सं.	देश/संस्था	दाता देश की मुद्रा	वर्ष 1997–98 (30-6-97 तक) के दौरान प्राप्त राशि
1	2	3	4
	बहुपक्षीय		
1.	आई.डी.ए.	अमरीकी डालर	63.426
2.	आई.बी.आर.डी.	अमरीकी डालर	75.950
3.	आई.एफ.ए.डी.	अमरीकी डालर	2.143
4.	ओ.पी.ई.सी.	अमरीकी डालर	0.409
5.	ए.डी.बी.	अमरीकी डालर	27.417
6.	पी.पी.एफ. (विश्व बैंक)	अमरीकी डालर	0.463
7.	स्विस अनुदान (विश्व बैंक)	स्विस फ्रांक	1.756
8.	आई.डी.एफ. अनुदान (विश्व बैंक)	अमरीकी डालर	0.110
9.	जापानी अनुदान (विश्व बैंक)	अमरीकी डालर	0.131
10.	जापानी अनुदान (विश्व बैंक)	जापानी येन	38.200
	द्विपक्षीय		
11.	कनाडा	कनाडी डालर	0.500
12.	फ्रांस	फ्रेंच फ्रांक	246.201
13.	जापान	जापानी येन	5614.500
14.	कुवेत फण्ड	कुवेती दीनार	0.041
15.	नीदरलैंड	डच गिल्डर	3.318
16.	स्वीडन	स्विडिश क्रोनर	20.486
17.	स्विटजरलैंड	स्विस फ्रांक	2.394
18.	स्विटजरलैंड	भारतीय रुपया	10.900
19.	जर्मनी	ड्यूश मार्क	41.777
20.	नार्वे	नार्वे क्रोनर	1.649
21.	यूनाइटेड किंगडम	पांड स्टर्लिंग	9.902
22.	यू.एस.ए.	अमरीकी डालर	0.722
23.	ई.ई.सी. अनुदान	ई.सी.यू.	2.083